

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

शिवनाथसिंह पिता नारायण मुत्बन्ना गणेश मीणा नि. केसरपुरा  
बनाम

नन्दा पिता कल्याण मीणा नि. केसरपुरा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 684/23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
21.06.23	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1014 रकबा 0.5908 हेक्टेयर, आ. न. 459 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, आ. न. 487 रकबा 0.4371 हेक्टेयर, आ. न. 499 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, आ. न. 637 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 661 रकबा 0.1376 हेक्टेयर कुल कित्ता 06 रकबा 1.9587 हेक्टेयर स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तार्इद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1014 रकबा 0.5908 हेक्टेयर, आ. न. 459 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, आ. न. 487 रकबा 0.4371 हेक्टेयर, आ. न. 499 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, आ. न. 637 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 661 रकबा 0.1376 हेक्टेयर कुल कित्ता 06 रकबा 1.9587 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 1000 रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी,  
जहाजपुर(भीलवाडा)

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

फर्मांक / रीडर / 2023 / 684 / 2023

दिनांक :- 21.06.2023

निमित्त

तहसीलदार जहाजपुर

विषय :- प्र. सं. 684/2023 अनवान शिवनाथसिंह पिता नारायण मुत्बन्ना गणेश मीणा नि. केसरपुरा बनाम नन्दा पिता कल्याण मीणा नि. केसरपुरा, छीतर पिता कल्याण मीणा नि. केसरपुरा, किश पिता भूरा मीणा नि. केसरपुरा, मांगीलाल पिता मादु मीणा नि. केसरपुरा, जगदीश पिता चुन्नीलाल मीणा नि. केसरपुरा, रामस्वरूप पिता चुन्नीलाल मीणा नि. केसरपुरा, जयराम पिता हरनाथ मीणा नि. केसरपुरा, किशन पिता दयाल मीणा नि. केसरपुरा, प्रभु पिता सुखदेव मीणा नि. केसरपुरा, हरचंद पिता --- मीणा नि. केसरपुरा, हरीसिंह पिता रामकुंवार मीणा नि. केसरपुरा, गोपाल पिता सुखदेव मीणा नि. केसरपुरा, कल्याण पिता चतरा मीणा नि. केसरपुरा, मुकेश पिता तुलसा मीणा नि. केसरपुरा, हंसा पत्नी अम्बालाल मीणा नि. केसरपुरा, किशन पिता दयाल मीणा नि. केसरपुरा वगैरा की पत्थरगढी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम टीकड़ प. ह. टीकड़ तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 1014 रकबा 0.5908 हेक्टेयर, आ. न. 459 रकबा 0.5504 हेक्टेयर, आ. न. 487 रकबा 0.4371 हेक्टेयर, आ. न. 499 रकबा 0.1619 हेक्टेयर, आ. न. 637 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 661 रकबा 0.1376 हेक्टेयर कुल किता 06 रकबा 1.9587 हेक्टेयर स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रु. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

Do  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (भीलवाडा)